मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-19/2013 दिनांक:लखनऊ:फरवरी 13 ,2014

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषय-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-62/2013 अनिल कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 24-5-2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश ।

....

कृपया इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि पुलिस विभाग द्वारा अभियुक्तगणों को गवाह के बयानों की नकलें एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्य की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जा रही है । अभियुक्तगणों को सामान्यत: केस डायरी की फोटोप्रतियाँ प्राप्त करायी जा रही है जबकि 207 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को निम्न अभिलेखों की प्रतियाँ प्राप्त कराया जाना अपेक्षित है :-

1-आरोप पत्र ।

2-चिक एफ0आई0आर0 की प्रति ।

3-धारा 161 के अन्तर्गत लिये गये गवाहों के बयान की नकल ।

4-धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गयी संस्वीकृति या कथन यदि कोई हो ।

5-कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण, जो धारा 173 की उपधारा 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गयी हो (विभिन्न प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य जैसे फर्द आदि की नकलें)।

3- अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगणों को प्राप्त करायी जाने वाली नकलों के सापेक्ष सम्पूर्ण केस डायरी की फोटोप्रति प्राप्त न करायी जाय अपितु 207 द0प्र0सं0 के अनुरूप ही अभिलेखों की नकलें प्राप्त करायी जायें ।

13/2/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पाँच-दो 7-2013/628 दिनाँक 5-2-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक,अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।